2012/00076

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पुरैनी)

पीठासीन अधिकारी –विनोद कुमार मीना (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या–45/2012

1–वीरेन्द्रसिंह 2–रामवीरसिंह उर्फ रम्मो 3–मुकेश 4–महेश पुत्रगण उम्मेदसिंह 5–राजु पुत्रश्री वीरीसिंह जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ

7–ममता पुत्री वीरीसिंह नावालिग सरपरस्ती प्रेमवती मां खुद जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ

————वादीगण

बनाम

1–भिक्की 2–रामसिंह 3–कमलसिंह पुत्रगण भगवतसिंह जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....प्रतिवादीगण

4–विरमा 5–मछला पुत्रीयान उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....तरतीवी प्रतिवादी

दावा वास्ते स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति–

1–श्री वीरेन्द्रसिंह – वादी

2–भिक्की – प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक :31.5.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 493 रकवा 05 बिस्वा वाके ग्रामक करीमपुर तहसील तहसील सैपऊ वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है । प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है । वादीगण अपनी खातेदारी की आराजी को अपने उपयोग में ले रहे है । प्रतिवादीगण झगडालू व्यक्ति है। दिनांक 19.4.2010 को उन्होने विवादित आराजी की पश्चिम दिशा में नींव खोदकर मकान बनानाचाहा तो वादीगण के पिता उम्मेदसिंह द्वारा उनवानी प्रकरण उम्मेदसिंह बनाम भिक्की न्यायालय में प्रस्तुंत किया गया । जिसमें स्थगन आदेश जारी होने पर प्रतिवादीगण अपने कृत्य में सफल नहीं हो सके । प्रतिवादीगण द्वारा इस आशय का जबाब दावा प्रस्तुंत किया कि उनका विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है । प्रतिवादीगण के कथनों से आश्वस्त होकर वादीगण ने दावा में पैरवी नहीं की और दावा दिनांक 23.2.2012 को अदम हाजिरी में खारिज हो गया । दावा एवं स्थगन आदेश खारिज होने पर प्रतिवादीगण ने पुनः दिनांक 20.3.2012 को विवादित आराजी के पश्चिम दिशा पर कब्जा करने की चेष्टा की ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत पुरैनी

इसलिए वादीगण द्वारा वाद दायर कर निवेदन किया है कि दावा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे कि वह विवादित आराजी पर जबरन कब्जा व निर्माण कार्य करने की चेष्टा नहीं करें तथा किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत बेजा नहीं करें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये तथा वादीगण के कथनों को अस्वीकार कर इस आशय का जबाब दावा प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा वादीगण का कब्जा नहीं है । दिनांक 17.5.2017 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र करीमपुर पर पक्षकार उपस्थित आये तथा पक्षकारान की सहमति से तहसीलदार सैपऊ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका निरीक्षण कराया गया ।

आज दिनांक 31.5.2017 राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र पुरैनी पर पक्षकार उपस्थित आये तथा तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की खातेदारी की भूमि है और उन्हीं का संयुक्त रूप से कब्जा है । प्रतिवादीगण ने भी मौका रिपोर्ट का कोई विरोध नहीं किया है तथा अपने कथनों के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुंत नहीं की है । आज भी प्रतिवादी भिक्की न्यायालय में उपस्थित आये है । दोनों पक्षों से बातचीत कर जानकारी ली गई । मौका रिपोर्ट को सही होना स्वीकार किया । चूंकि उक्त विवादित आराजी के वावत् दो वार वाद प्रस्तुंत हो चुंका है । ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण डिकी कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञ पावंद किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 डिकी किया जाता है । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वह वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 493 रकवा 05 बिस्वा वाके ग्रामक करीमपुर तहसील तहसील सैपऊ के किसी भाग पर जबरन कब्जा करने या किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की चेष्टा नहीं करे तथा खातेदारान को के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत वेजा नहीं करें । पर्चा डिकी जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 31.5.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्डाधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र पुरैनी